प0 सं0–14 / डीएल0ए0 बाँका (एल0पी0जी0)–05 / 13–2197 / रा0, पटना–15, दिनांक–06/09/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिघोषणा

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता हैं कि मौजा-मसुदनपुर, थाना नं०-116 परगना- भागलपुर , जिला-बांका में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात एल०पी०जी०बोटलिंग प्लांट की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इनके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा के भीतर जमीन का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश **29.74** एकड़ होता है जिसका खेसरा सं० निम्नांकित हैं।

अर्जनाधीन खेसरा सं०- 182,183,184,185,186,187,188,189,अंश195,199

चौहदी निम्नप्रकार हैः-

उत्तरः- 183,184,125,186,191,186,190,190,197,197

पुरबः- 183,184,188,184,189,188,200,188,199,200

दक्षिणः- 245,182,245,184,185,245,184,187,200,195

पश्चिमः- 619,181,177,181,181,184,189,186,188,195

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला ,लोहा ,पत्थर ,सिलेट या अन्य खनिजों एवं खानों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित कि जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना,हटाना,या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो लिए जायेंगें।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 और अधिनियम XVIII ,1885 की धारा 3 खंड (1) के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,बांका के कार्यालय, में देखा जा सकता हैं।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
बांका

अपर समाहर्त्ता,
बांका

समाहर्त्ता,
बांका

सरकार के अपर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार,
विभाग,बिहार,पटना।

ज्ञापांक 2197 /रा० दिनांक 06-09-13

प्रतिलिपि :-1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिघोषणा की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में ही प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. प्रभारी उपसमाहर्त्ता, जिला गजट बांका को बांका जिला के अगले गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
3. समाहर्त्ता, बांका को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ,बांका को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अंचल अधिकारी,बाराहाट को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रबंधक(एल०पी०जी०), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

6/9/13

सरकार के अपर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार,
विभाग,बिहार,पटना।